मतदान की हर पल की गतिविधि पर नजर रखने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित

❒ पहले चरण में 811 मतदान केंद्रों से मिलेंगी लाइव वीडियो

❒ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वेबकास्टिंग के जरिए मतदान प्रक्रिया पर रखेंगी नजर

रायपुर | आरएनएस

लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत प्रदेश में प्रथम चरण में बस्तर लोकसभा क्षेत्र में हो रहे मतदान की पल-पल की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले स्वयं नियंत्रण कक्ष के माध्यम से निर्वाचन गतिविधियों की निगरानी कर रही हैं।

लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत प्रथम चरण में बस्तर लोकसभा क्षेत्र में 1961 मतदान केंद्रों में से 811 मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग के माध्यम से मतदान प्रक्रिया की निगरानी की जाएगी। मतदान के पहले आज सभी केंद्रों से टेस्टिंग भी सफलतापूर्वक पूरी की जा चुकी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में स्थापित कमांड एवं कंट्रोल सेंटर में 16 बड़ी स्क्रीन पर एक साथ 144 मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग के जरिए लाइव वीडियो देखी जा सकेगी। जिलावार एवं विधानसभावार हर 30 सेकंड में मतदान केंद्र स्क्रीन पर बदलेंगे जिससे सभी मतदान केंद्रों से आ रहे वीडियो को बारी-बारी से देखा जा सके।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के लिए वेबकास्टिंग के माध्यम से कुल मतदान केंद्रों में से आधे मतदान केंद्रों से सीधी तस्वीरें प्राप्त की जा रही हैं। निर्वाचन के दौरान मतदान केंद्रों से सीधी तस्वीरें प्राप्त करने के लिए कैमरे स्थापित किए गए हैं। यह पहली बार है कि मतदान केंद्र के अंदर के साथ ही बाहर भी कैमरे लगाए गए हैं जिससे मतदाताओं की कतारों तथा बाहर की अन्य गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी।

जिले में शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने 60 हजार से अधिक श्रमिकों ने ली शपथ

बालोद (आरएनएस)। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल के निर्देशानुसार बालोद जिले में आगामी लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के दौरान शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने हेतु सघन मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत आज जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. संजय कन्नौजे ने बालोद विकासखंड के ग्राम उमरादाह में सामुदायिक तालाब निर्माण कार्य में कार्यरत 124 श्रमिकों सहित सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, मेट एवं अन्य ग्रामीणों की उपस्थिति में मतदाता जागरूकता हेतु स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण निर्वाचन एवं अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करने हेतु शपथ दिलाई। इसके अलावा विकासखण्ड स्तरीय अधिकारियों द्वारा बालोद विकासखण्ड के 08 हजार 712 श्रमिक, डौण्डी विकासखण्ड के 11 हजार 315, डौण्डीलोहारा विकासखण्ड के 16 हजार 182, गुण्डरदेही विकासखण्ड के 14 हजार 215, गुरूर विकासखण्ड के 10 हजार 329 श्रमिकों सहित कुल 60 हजार 753 श्रमिकों को स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत लोकसभा आम निर्वाचन अंतर्गत 26 अप्रैल को अपने मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ दिलाई गई।

महत्वपूर्ण एवं खास

किराना दुकान में आगजनी, लाखों का सामान जलकर राख

कोरबा (आरएनएस)। गर्मी का पारा बढने के साथ ही आग लगने की घटनाएं भी बढने लगी है। बांगो थाना अंतर्गत ग्राम सासीन स्थित एक किराना दुकान में आग लग गई। घटना में दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया,वहीं दुकान को भी क्षति पहुंची है। दुकान संचालक ने बताया,कि इस घटना में उसे करीब दस लाख रुपयों का नुकसान हुआ है। कोरबा जिले के बांगो थाना क्षेत्र में आगजनी की एक घटना सामने आई है। ग्राम सासीन में संचालित एक किराना दुकान में आग लग गई। आग कैसे और क्यों लगी इस बात का पता नहीं चल सका है। संचालक हितेश सिंह कोरचो से बात की। उसने बताया,कि बीती रात करीब वह अपनी दुकान बंद कर डेढ़ किमी दूर ग्राम बोतलो स्थित अपने घर जा रहा था,रास्ते में उसे फोन पर सूचना,मिली की दुकान में आग लग गई। जब तक वह अपनी दुकान पहुंचता आग ने सब कुछ जला दिया है। संचालक के अनुसार उसे दस लाख रुपयों का नुकसान हुआ है।

किशोरी से अनाचारी मामले में युवक जेल दाखिल

कोरबा (आरएनएस)। एक नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर उसे अलग-अलग स्थानों में ले जाकर अनाचार के मामले में युवक को अपहरण, बलात्कार एवं पास्को एक्ट की धारा में गिरफ्तार कर कल अपराह्न उसे जिला जेल दाखिल कर दिया गया। जानकारी के अनुसार हरदीबाजार क्षेत्र निवासी प्यारेलाल पटेल उम्र 19 वर्ष करतला क्षेत्र की एक किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने एक अन्य नाबालिग साथी के साथ अलग-अलग स्थानों में ले जाकर रही, उस दौरान किशोरी का उपरोक्त युवक एवं उसके सह आरोपी नाबालिग द्वारा भी अनाचार किया जाता रहा। इस मामले में करतला थाने में पदस्थ एएसआई मोतीलाल डनसेना ने आरोपी प्यारेलाल पटेल को अपराध क्रमांक 41/4 धारा 363, 366, अपहरण एवं 376 बलात्कार भादवि की धारा 4 पास्को एक्ट के तहत गिरफ्तार कर उसे रिमांड पर कोरबा न्यायालय पेश किया गया था। न्यायालय ने आरोपी को उसके अपराध की गंभीरता को देखते हुए तत्काल प्रभाव से जिला जेल दाखिल कर दिया।

कोरबी-चोटिया मार्ग पर हाथियों का आवाजाही, यातायात रहा बाधित

कोरबा (आरएनएस)। जिले में हाथियों की आमदगी लगातार बनी हुई है। जिले के वनांचल क्षेत्रों में हाथी लोगों के लिए दहशत का पर्याय बने हुए है। इसी कड़ी में एक बार फिर से कोरबी-चोटिया मार्ग पर हाथियों के दल को देखा गया है,जो सडक पार करते हुए नजर आ रहे है,जिसके चलते मुख्य मार्ग पर करीब आधे घंटे तक यातायात व्यवस्था बाधित रही। हाथियों के दल के कारण कोरबी-चोटिया मार्ग एक बार फिर से बाधित हो गया। कटघोरा वनमंडल में हाथियों की मौजूदगी से वन विभाग के साथ-साथ लोग भी काफी परेशान है। इस क्षेत्र में हाथियों के कारण लोग हमेशा डरे हुए रहते है। गुरुवार की सुबह सुबह एक बार फिर से हाथियों के दल को देखा गया है। हाथी कोरबी-चोटिया मुख्य मार्ग पर आ धमके। उनके द्वारा सडक पार किया जा रहा था,जिसके कारण आधे घंट तक मार्ग पर जाम लगा रहा। हाथी एक एक कर सडक पार करते हुए जंगल की तरफ चले गए।

मड़वारानी पहाड़ से निकली ज्योति कलश विसर्जन यात्रा

कोरबा (आरएनएस)। नवरात्रि पर्व की अंतिम दिवस पहाड़ ऊपर स्थित मां मड़वारानी मंदिर में बुधवार को नवमी पूजा की गई। पहाड़ ऊपर मंदिर में प्रज्जवलित कराए गए सैकड़ों मनोकामनाएं ज्योति कलश व जवारा का बड़े ही उत्साह व आस्था के साथ हसदेव नदी झीका एवं कोरबा चांपा रोड सोन नदी तक विसर्जन यात्रा निकाली गई। जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं व समिति के कार्यकर्ता शामिल रहे। नवरात्रि पर्व शांति रूप से संपन्न होने पर सेवा समिति झीका महोरा, कलमी पेड़ एवं मां मड़वारानी जन कल्याण समिति ने आभार व्यक्त किया। अंतिम दिवस पर भी मां मड़वारानी मंदिर में दर्शनार्थियों की काफी भीड़ रही।

दो स्थान पर सड़क दुर्धटना में एक की मौत, दो गंभीर

❒ करतला और बांगो क्षेत्र में हुई घटना

कोरबा | आरएनएस

जिले में करतला क्षेत्र में हुए हादसे में एक व्यक्ति की सांसें उखड़ गई, वहीं उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया जबकि बांगो थाना क्षेत्र में स्वयं से बाइक से गिरकर गंभीर रूप से घायल हुए युवक को पोड़ी से बिलासपुर सिम्स रेफर कर दिया गया है।

जानकारी के अनुसार कल शाम को बेहरचुआं से बारात लेकर अरविंद उरांव उम्र 21 पिता राधेश्याम उरांव एवं उसका साथी अजीत उरांव उम्र 22 एक बाइक में सवार होकर अपने घर से निकले, लेकिन कुछ ही दूर आगे जाने के बाद ये दोनों पेड़ से गंभीर रूप से टकरा गए। जिसकी जानकारी अरविंद के पिता ने मोबाइल से फोन कर अपने पिता राधेश्याम उरांव को दिया। बताया जाता है कि वहां से राधेश्याम उरांव अपने पुत्र अरविंद एवं उसके साथ अजीत उरांव की खोज में निकले ही थी कि जानकारी मिली कि वे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं जिन्हें तत्काल करतला सीएचसी ले जाया गया।

वहां उसको देखते ही चिकित्सक ने अरविंद को मृत घोषित कर दिया जबकि उसके दूसरे साथ अजीत उरांव को जिला अस्पताल रेफर किया गया। जहां उसका उपचार जारी है। करतला पुलिस ने इस मामले में सूचक राधेश्याम उरांव की सूचना पर मर्ग क्रमांक 19/24 कायम कर लिया है। विवेचना जारी है। वहीं एक अन्य घटनाक्रम में जिले के पसान थानांतर्गत मनमोहन सिंह गोंड उम्र 22 पिता जगलाल सिंह गोंड़ ग्राम कुल्हरिया पाली थाना पसान कल अपनी बाइक से देर शाम को जीजा संजय कोर्राम उम्र 35 पिता अंजोर सिंह निवासी फुलसर कोरबी थाना पसान तथा संतकुमार उम्र 22 पिता लोकचंद गोंड़ निवासी बड़ेमुड़ा चैकी कोरबी थाना पसान बाइक में सवार होकर घूमने के लिए बांगो थाना क्षेत्र में जा रहे थे। इसी बीच बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई जिससे कि गंभीर रूप से मनमोहन सिंह घायल हो गया। वहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए बिलासपुर सिम्स में उपचार के लिए रेफर किया गया है।

ओवर स्पीडिंग और ड्रंकन ड्राइविंग पर कार्रवाई

कोरबा जिले में विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते सडक हादसों की रोकथाम को लेकर पुलिस की ओर से जरूरी कोशिश की जा रही है। ओवर स्पीडिंग और ड्रंकन ड्राइविंग के मामलों को लेकर हुए हादसों में न केवल मौत हो रही है बल्कि लोग जख्मी हो रहे हैं। वर्ष 2024 में जनवरी से अब तक 180 प्रकरणों में वाहन चालकों पर कार्रवाई करते हुए उनके ड्राइविंग लाइसेंस को सस्पेंड करने के प्रस्ताव भी परिवहन विभाग के पास पुलिस की ओर से भेजे गए हैं। कई प्रकार के अभियान पुलिस की ओर से चलने के बावजूद इस प्रकार के मामलों में बहुत ज्यादा कमी नहीं आ सकी है, जैसा की अपेक्षा की जा रही थी। इससे ऐसा लगता है कि सडक पर ओवर स्पीड में चलने वाले लोगों को अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा प्यार नहीं है।

नाली में गोबर देख भड़के आयुक्त, डेयरी संचालक पर जुर्माना

भिलाई (आरएनएस)। डेयरी संचालक की मनमानी पर गुरूवार को आयुक्त मोनिका वर्मा ने फटकार लगाई। डेयरी संचालक पर दो हजार का जुर्माना लगाया। दरअसल डेयरी संचालक दुधारू मवेशी के गोबर को सार्वजनिक नाली में डाल रहा था।

डेयरी संचालक के इस हरकत को देख नगर पालिक निगम रिसाली की आयुक्त मोनिका वर्मा नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने डेयरी संचालक को समझाइश देने मौके पर बुलवाया। समझाइश के पहले वार्ड 29 निवासी डेयरी संचालक बिसौहा राम यादव यह कहते हुए बहस करने लगा कि वह अकेला नहीं है जो नाली में कचरा डालता है। डेयरी संचालक के इस व्यवहार को देखने के बाद आयुक्त ने मौके पर ही 2000 जुर्माना वसूल करने के निर्देश दिए। साथ ही स्वास्थ्य विभाग से कहा कि खटाल संचालक दोबारा गलती करते पाए जाने पर दो गुना जुर्माना वसूल किया जाए।

जहां नाली टुटी है उसे करे सूचीबद्ध- मार्निंग विजिट के तहत आयुक्त मोनिका वर्मा वार्ड 29 में 14 लाख से बने ऑक्सीजोन का निरीक्षण किया। उन्होंने ऑक्सीजोन में डेयरी से आने वाली गंदगी को रोकने के निर्देश दिए। साथ ही अधुरे पानी निकासी के संसाधन को सूचीबद्ध करने कहा।

लोकसभा निर्वाचन-2024 : सभी 57 रूट पर 270 मतदान दल बसों के माध्यम से हुए मतदान केन्द्र के लिए रवाना

दंतेवाड़ा | आरएनएस

लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत जिले के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-88 दंतेवाड़ा के लिए मतदान सम्पन्न कराने हेतु आज मतदान दलों को डाइट परिसर में स्थित स्ट्रांग रूम से मतदान सामग्री ईबीएम सहित वीवीपैट आदि वितरित किया गया। इस दौरान मास्टर्स ट्रेनर्स के द्वारा जहां अधिकारी एवं कर्मचारियों को पुन: एक बार मतदान प्रक्रिया की ईवीएम और वीवीपैट की विस्तृत जानकारी दिया गया। वहीं मॉकपोल सीलिंग प्रक्रिया के अलावा विभिन्न प्रपत्रों को प्रतिपूरित करने इत्यादि के बारे में सतर्कता बरतने की समझाइश दी। इसके पश्चात मतदान दल, माइक्रो आब्जर्वर, रिजर्व दल एवं सुरक्षा बल सभी 57 अलग-अलग रूटों पर निर्धारित वाहनों से मतदान केन्द्रों के लिए सुरक्षा व्यवस्था के साथ रवाना हुयें। और समीपस्थ मतदान केंद्रों के मतदान दल अपने गन्तव्य तक पहुंच चुकें है।

इस दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मयंक चतुर्वेदी एवं पुलिस अधीक्षक गौरव राय के द्वारा सभी मतदान दल के कर्मियों को सफल मतदान सम्पादित करने सहित अन्य प्रपत्रों को ध्यानपूर्वक भरने को कहा एवं शुभकामनाएं दी। इस मौके पर जिला पंचायत सीईओ कुमार बिश्वरंजन, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर जयंत नाहटा, अपर कलेक्टर राजेश पात्रे, एडिशनल एसपी. राम बर्मन, उप जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक तिवारी सहित निर्वाचन दायित्वों से जुड़े अधिकारी मौजूद थे।

अनवर ढेबर व अरविंद सिंह 2 मई तक न्यायिक रिमांड पर तो एपी त्रिपाठी 25 अप्रेल तक ईओडब्ल्यू की रिमांड पर

❒ अरविंद सिंह ने कोर्ट में मांगी इच्छा मृत्यु

रायपुर | आरएनएस

बहुचर्चित तीन हजार करोड़ के आबकारी घोटाले मामले में गिरफ्तार आरोपियों की छह दिन की रिमांड खत्म होने के बाद गुरूवार को ईओडब्ल्यू की टीम ने अनवर ढेबर, अरविंद सिंह समेत अरुणपति त्रिपाठी को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया। इसके पूर्व एसीबी ने तीनों से आमने सामने पूछताछ पूरी कर ली है।

शराब घोटाले के मामले में ईडी की रिपोर्ट पर ईओडब्ल्यू की दर्ज एफआईआर में गिरफ्तारी के 14 दिन बाद अनवर ढेबर और अरविंद सिंह को जेल भेजने का आदेश हुआ है। मामले में गिरफ्तार किए गए तीन आरोपी में से दो आरोपियों की न्यायिक रिमांड का ईओडब्ल्यू का आवेदन कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अनवर ढेबर और अरविंद सिंह 2 मई तक न्यायिक रिमांड पर रहेंगे। वहीं तीसरा आरोपी एपी त्रिपाठी 25 अप्रैल तक ईओडब्ल्यू की रिमांड में रहेगा। अपर न्यायाधीश निधि शर्मा तिवारी की कोर्ट में तीनों को पेश किया गया था। जहां कोर्ट ने यह आदेश दिया है।

इसके अलावा अरविंद सिंह ने जज से इच्छा मृत्यु मांगी है। अरविंद सिंह के आवेदन पर जज ने कहा कि आप वकील के जरिए प्रॉपर आवेदन लगवाएं। उस पर अलग से सुनवाई होगी।

बता दें कि 3 अप्रैल को हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से निकलते ही ईओडब्ल्यू की टीम ने फिर से अरविंद सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद 4 अप्रैल को अनवर ढेबर को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद से अरविंद सिंह और अनवर ढेबर को लगातार ईओडब्ल्यू रिमांड पर ले रही थी। 18 तारीख को रिमांड खत्म होने पर न्यायिक रिमांड के लिए अरविंद, अनवर और एपी त्रिपाठी को कोर्ट में पेश किया था।

ई.व्ही.एम एवं वीवीपैट मशीनों की कमीशनिंग कार्य का दिया गया प्रशिक्षण

गरियाबंद | आरएनएस

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक कुमार अग्रवाल के उपस्थिति में लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत कमीशनिंग कार्य के संबंध में मास्टर ट्रेनर एवं सेक्टर अधिकारियों को आज जिला पंचायत के सभाकक्ष में एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ रीता यादव,उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार गोलछा भी मौजूद थे।

इस दौरान प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर एवं सेक्टर ऑफिसर को मतदान प्रक्रिया के लिए कमीशनिंग की आवश्यकता के साथ ही ईवीएम और वीवीपैट मशीन को तैयार करने की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही अधिकारियों को उनके दायित्व और जिम्मेदारियों के बारे में भी बताया गया। प्रशिक्षण में उनके द्वारा बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, वीवीपेट के संचालन करने के साथ ही प्रत्येक मशीनों को एक दूसरे से केबल कनेक्शनों से कनेक्ट करना, एड्रेस टैग लगाना, पिंक पेपर सील करना, पेपर रोल, मतदान पत्र लगाना, लॉक करना, सील करना, मॉक पोल, विभिन्न प्रपत्रों सहित अन्य गतिविधियों से विस्तार से अवगत कराया गया।कलेक्टर अग्रवाल ने सभी अधिकारियों से कहा कि निर्वाचन कार्य में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, पहले से ही पूर्व तैयारी रखें। निर्वाचन कार्य की जिम्मेदारी सावधानीपूर्वक निर्वहन करें। उन्होंने सेक्टर अधिकारियों से कहा कि मतदान केन्द्रों का पुन: अवलोकन कर लें और सारी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता के संबंध में जानकारी रखें। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों ने अपने क्षेत्र के मतदान केन्द्रों का अवलोकन नहीं किया है, वे शीघ्र अवलोकन कर सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्य के सुचारू संचालन के लिए ज्यादा से ज्यादा भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की जानकारी होनी चाहिए। प्रशिक्षण में सभी सेक्टर ऑफिसर्स को ईवीएम और वीवीपैट के तकनीकी पक्षों के बारे में प्रेजेंटेशन के माध्यम से पूरी जानकारी दी गई। इसकी प्रशासनिक प्रक्रिया, प्रोटोकॉल के बारे में बताया गया। इसके साथ ही मतदान दलों को भी इस संबंध में अद्यतन रखने कहा गया। बैठक में बताया गया कि मॉक पोल आदि की प्रक्रियाओं के बारे में पूरी जानकारी रखें। सेक्टर ऑफिसर्स को पूरी तरह तकनीकी रूप से दक्ष होना चाहिए। ईवीएम एवं वीवीपैट, बैलेट यूनिट, बैलेट पेपर के तकनीकी को बारीकी से समझाया गया। जिससे मतदान करते समय किसी प्रकार की समस्या न हो।

बिरयानी सेंटर का गटर साफ करने उतरे दो युवकों की मौत

रायपुर | आरएनएस

राजधानी रायपुर के जीई रोड स्थित अशोका बिरयानी सेंटर में 2 कर्मचारियों की मौत होने का मामला सामने आया है। मृतक गटर टैंक की सफाई के लिए उतारे थे। मामले करी शुरुआती जांच में गटर की सफ ाई के दौरान निकली जहरीली गैस से मौत की आशंका जताई जा रही है। मामले में तेलीबांधा थाना पुलिस ने बिरयानी सेंटर के मैनजेर और कर्मचारी हिरासत में लिया है। वहीं उक्त सेंटर में

मामले के संबंध में जानकारी एकत्रित करने पहुंचे मिडियाकर्मियों

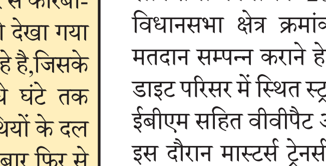

के साथ दुव्यहार होने की बात भी सामने आई है।

मिली जानकारी के अनुसार गुरूवार को जीई रोड तेलीबांधा थाना क्षेत्र में अशोका बिरयानी सेंटर में गटर के टैंक में सफाई करने के लिए वहीं को दो कर्मचारी डेविड साहू पिता यशवंत राम उम्र 19साल निवासी खामहरिया जिला धमतरी और नीलकुमार पटेल पिता जगदीश पटेल उम्र 30 साल निवासी खुटादरहा जांजगीर को उतारा गया था। काफी देर तक जब दोनों बाहर नही आये तो सेंटर के अन्य कर्मचारियों ने उन्हें आवाज लगाई जिसपर भी दोनों युवकों ने कोई जवाब नही दिया। जिसके बाद कुछ कर्मचारियों ने गटर में उतर देखा तो दोनों बेहोश थे जिन्हें किसी तरह बाहर निकाला गया। और इसकी सूचना थाने में दी गई। जिसके बाद दोनों युवकों को अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। इधर इस मामले की सूचना मिलते ही शहर के मिडिया कर्मी बिरयानी सेंटर पहुंचे और वहां मौजूद कर्मचारियों से बात करनी चाही तो सेंटर के कर्मचारियों ने न सिर्फ मिडियाकर्मियो से बदसलुकी कि बल्कि पत्रकारों से मारपीट करते हुए एक निजी चैनल के कैमरामैन का कैमरा भी तोड़ दिया गया। मामले के संबंध में पुलिस का कहना है कि गटर की सफाई के दौरान कर्मचारी बेहोश हो गए। जब वे काफी देर तक बाहर नहीं आए, तो होटल में काम करने वाले दूसरे कर्मचारी गटर के पास गए। आवाज लगाने पर कोई जवाब नहीं आया। जिसके बाद कुछ कर्मचारियों ने गटर में उतरकर दोनों को बाहर निकाला।

इधर इस पूरे मामले में सवाल यह उठ रहा है कि यदि गटर में गैस था तो गटर सूखे हुए कैसे मिले और यदि दोनों युवकों की गैस से दम घुटने की वजह से मौत हुई है तो अन्य कर्मचारियों ने उन्हें गटर में उतरकर बाहर कैसे निकाला। वहीं दोनों कर्मचारियों होटल के स्वीपर भी नही थे तो उन्हें गटर में कैसे उतारा गया साथ ही दोनों मृतकों के कपड़े बिल्कुल सूखे हुये थे। साथ ही सवाल करने गये बिरयानी सेंटर के कर्मचारियों का व्यवहार भी मामले में संदेह उत्पन्न कर रहा है। बताया जा रहा है कि यहां आए दिन कर्मचारियों को डराया धमकाया जाता है। मारपीट की जाती है, बंधक बनाकर काम कराया जाता है।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छतीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छतीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गर्वनिंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छतीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छतीसगढ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढिए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU